भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1043

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना

†1043. श्री बापी हलदर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर इसके ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में, स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, कार्यशील और निर्माणाधीन नई स्वास्थ्य अवसंरचनाओं/सुविधाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में अस्पताल अवसंरचना की कमी के कारण अनेक ग्रामीण मरीजों को अभी भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों को तैनात करने अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और तटीय समुदायों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें तटीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना भी शामिल है। भारत सरकार उपलब्ध संसाधनों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख के माध्यम से इन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अनुमोदित स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पश्चिम बंगाल, में स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए निम्नलिखित निधियां आवंटित की गई हैं:

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** के अंतर्गत जन स्वास्थ्य तथा अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने का प्रावधान है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को 461 भवनविहीन उप-स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम), 204 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), जिला स्तर पर 23 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) तथा जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज स्तर पर 23 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 1,309.29 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

 मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। इस योजना के अंतर्गत जिले के लिए डायमंड हार्बर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 50 बिस्तरों वाला एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एम. आर. बांगुर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल), आठ शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) तथा 42 उप-स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम) अनुमोदित किए गए हैं।

- **15वें वित्त आयोग के इनपुटः** 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की पांच वर्षीय अवधि हेतु 4,318.62 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं तथा इसी अवधि के दौरान 4,217.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जिसमें 1,551 भवनविहीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों, 146 भवनविहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 23 भवनविहीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 341 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) तथा 1,171 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पूंजीगत व्यय भी शामिल है।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** का उद्देश्य सुलभ विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार करना है। इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में कल्याणी में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना तथा चार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों, नामतः (1) कोलकाता मेडिकल कॉलेज, (2) बी.एस. मेडिकल कॉलेज, बांकुरा, (3) सरकारी मेडिकल कॉलेज, मालदा तथा (4) नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के उन्नयन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

- केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों में, जहां कोई सरकारी अथवा निजी मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं है, पहले से मौजूद जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना है, पश्चिम बंगाल राज्य में बीरभूम (रामपुरहाट), कूचबिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, बारासात, उलूबेरिया, आरामबाग, झाड़ग्राम, तमलुक तथा जलपाईगुड़ी में 11 मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत सभी 11 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में क्रियाशील हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा तटीय समुदायों सहित सभी लोगों को सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित प्रमुख पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आशा कार्यकर्ता, 24×7 स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियां, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान तथा सार्वभौमिक प्रतीरक्षीकरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दूरस्थ, दुर्गम एवं पहुंच से वंचित क्षेत्रों, जिनमें तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं, में रहने वाली आबादी को निवारक, प्रोत्साहक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) को भी सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की तैनाती करने का अधिकार प्राप्त है। मोबाइल चिकित्सा इकाइयां सेवा स्थल पर निःशुल्क व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 49 मोबाइल चिकित्सा इकाइयां क्रियाशील हैं। (स्रोत: एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट, 31 दिसंबर, 2025)

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में काकद्वीप उप-मंडल, नामखाना, पाथरप्रतिमा तथा सागर ब्लॉक के अंतर्गत चार नदीय ब्लॉकों में मोबाइल चिकित्सा नौकाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा दल सहित आठ मोबाइल चिकित्सा इकाई वाहनों द्वारा अल्पसेवित एवं दुर्गम क्षेत्रों में सप्ताह में छह दिन चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
